

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर**  
**पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा**

जी0सी0एम0एस0 संख्या 2023/75

निगरानी संख्या 20/2023

तारीख रजू 31.07.2023

विकास अधिकारी पंचायत समिति, खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....निगरानीकर्ता

**बनाम**

1. रघुवर दयाल मथुरिया पुत्र रामचरण मथुरिया जाति महाजन निवासी ग्राम क्यारदा कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर ।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत गोठडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत गोठडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. उप पंजीयक तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर ।

.....विपक्षीगण

उपस्थित – श्री तौफीक अहमद एडवोकेट निगरानीकर्ता की ओर से।  
श्री विक्रम शर्मा एडवोकेट विपक्षी संख्या 1 की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक 23.02.2026

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 के द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 39 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से मिलकर राज्य सरकार की बेस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर फर्जी तरीके से पट्टा संख्या 39 फैसला दिनांक 21.11.2017 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी विधि विरुद्ध पट्टा जारी करने के कारण ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा जारी फर्जी तरीके से जारी पट्टा विलेख संख्या 39 आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये सम्मन की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं



**अति. जिला कलेक्टर**  
**सवाई माधोपुर**

होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 प्राप्त हुआ। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता द्वारा बहस के दौरान निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क दिया कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार के पद पर नियुक्त है जिन्हें फर्जी पट्टा प्रकरण के संबंध में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त फर्जी पट्टे के बारे में माननीय जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर को दिनांक 20.10.2020 को शिकायत प्राप्त होने पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 21.10.2020 को विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार को उक्त फर्जी पट्टा प्रकरण की जांच कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित करने पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दिनांक 28.12.2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट पेश होने पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 28.06.21 को तीन सदस्यी जांच कमेटी गठित की गई जांच कमेटी द्वारा दिनांक 19.08.21 को पेश की गई जांच रिपोर्ट में उक्त शिकायत सही पाई गई तथा जारी किये गये पट्टे फर्जी तरीके से जारी किये जाना पाया गया। यह कि विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से मिलकर राज सरकार की बेस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर फर्जी तरीके से पट्टा संख्या 39 फैसला दिनांक 21.11.17 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी विधि विरुद्ध व असत्य तथ्यों के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करते समय उचित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। उक्त फर्जी तरीके से जारी किये गये पट्टा की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत गोठडा में नहीं पाई गई और उक्त पट्टे के संबंध में नियमानुसार पट्टे की तीन प्रतियां, (जिसमें एक पट्टाधारी के पास, दूसरी ग्राम पंचायत व तीसरी पंचायत समिति में) भी नहीं बनाई गई है। उक्त पट्टे के संबंध में कोई प्रति ग्राम पंचायत गोठडा व पंचायत समिति खण्डार में जमा नहीं है। उक्त विवादित पट्टा जारी करते समय विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी मिलीभगत करके उक्त पट्टे में जो राशि भूमि विक्रय के संबंध में फर्जी तरीके से दर्शाई गई है उक्त भूमि विक्रय राशि 14400/-रु0 का इन्द्राज ग्राम पंचायत गोठडा में उपलब्ध रसीदों में उक्त राशि का इन्द्राज ही नहीं है और ना ही उक्त राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा है। इस प्रकार पट्टा जारी करते समय उक्त राशि का पट्टे पर फर्जी तरीके से इन्द्राज किया गया है। ग्राम पंचायत में उक्त राशि का रसीद बुक रोकड बही में कोई इन्द्राज नहीं है इस कारण विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने यह फर्जी इन्द्राज कर फर्जी पट्टा बनाया गया है। पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत के कोरम में एक प्रस्ताव लिया जाता है जिसके संदर्भ में जारी करते समय पंचायत के संकल्प संख्या 39 आदेश दिनांक 21.11.17 का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत गोठडा में कोई रिकार्ड नहीं है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त संकल्प संख्या व दिनांक पट्टे पर फर्जी तरीके से अंकित किया गया है। उक्त विवादित भूखण्ड का बेचान फर्जी पट्टे के मद नं0 2 के अनुसार आपसी बातचीत पर बेचान बताया गया है जबकि पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राईवेट बातचीत के द्वारा विक्रय तब ही कर सकेगी जब उक्त भूमि के विक्रय करते समय नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती जबकि उक्त प्रकरण में उक्त विवादित भूखण्ड के नीलामी के माध्यम से बेचान की कोई प्रक्रिया ही नहीं अपनाई गई

  
अति. जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

और ना ही उक्त भूखण्ड की वर्तमान बाजार दर से राशि प्राप्त की गई ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा सम्पूर्ण फर्जी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए फर्जी तरीके से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आदेश दिनांक 21.11.17 से पट्टा संख्या 39 जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त विवादित पट्टा में फ़ैसला दिनांक 21.11.17, पंचायत का संकल्प दिनांक 21.11.17 व भूमि बेचान राशि जमा कराने की दिनांक 31.07.17 है अर्थात विपक्षीगण द्वारा मिली भगत करके एक ही दिन में पट्टे के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाया गया है। तीनों ही प्रक्रिया के संबंध में कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत गोठडा में नहीं है। इस कारण पट्टो पर सम्पूर्ण इबारत फर्जी तरीके से अंकित की गई है। उक्त विवादित पट्टे पर मिसल संख्या व पट्टा संख्या भी समान है जिससे पट्टे का फर्जी होना साबित होता है। उक्त विवादित पट्टा छल, भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक तरीके से जारी किये गए हैं। ऐसे पट्टो को चुनौती का संधारण करते समय पुनरीक्षण प्राधिकारी के रास्ते में विलम्ब का बिन्दु बीच में नहीं आ सकता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 39 आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त फरमाई जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादित भूखण्ड पर हमारा पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत से पट्टा लेने के लिए हमारे द्वारा ग्राम पंचायत में नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी किये तथा उक्त संबंध में किसी की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी द्वारा विवादित भूखण्ड का मौका मुआयना किया गया। मौका मुआयना करके कमेटी की रिपोर्ट के उपरान्त हमारे द्वारा नियमानुसार निर्धारित फीस जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है। पट्टा प्राप्त करने के बाद नियमानुसार उप पंजीयक के यहां पट्टा पंजीकृत कराया गया है। हमारे द्वारा पट्टा प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। हमारे द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित की गई राशि जमा करवाई गई है। उक्त जमा राशि रिकार्ड में जमा नहीं करने के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। ग्राम पंचायत के कार्मिकों ने जानबूझकर पत्रावलियां गायब कर उक्त नियमानुसार जारी पट्टो को फर्जी बताया गया है। जबकि उक्त पट्टा प्राप्त करने की विधिवत प्रक्रिया अपनायी गई है जिसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि हमारे द्वारा प्राप्त पट्टा रजिस्टर्ड पट्टा है जिसे खारिज करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है उक्त निगरानी न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने यह भी तर्क दिया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार का उक्त प्रकरण में किस प्रकार का हित है यह पत्रावली में उल्लेखित नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में यह तर्क भी दिया कि उक्त पट्टा जारी होने के तीन वर्ष बाद जिला कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश दिये हैं। उक्त निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की साईटेशन, 1999 DNJ [Raj.] पृष्ठ संख्या 781 रामेश्वर बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा RLR 1999(2) Sua Lal & ors. V/s State of Raj. & ors. पेश की।


  
अति. जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

वकील निगरानीकर्ता ने प्रत्युत्तर बहस में तर्क दिया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार को उक्त निगरानी पेश करने हेतु जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत किया गया। उक्त निगरानी मियाद बाहर होने के संबंध में तर्क दिया कि अवैधानिक आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसमें मियाद लागू नहीं होती है। वकील निगरानीकर्ता ने पंजीकृत पट्टे के क्षेत्राधिकार के संबंध में तर्क दिया चूंकि उक्त पट्टे शुरू से ही अवैधानिक है इसलिए उक्त पट्टे के पंजीकृत होने के उपरान्त भी न्यायालय हाजा को खारिज करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील निगरानीकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की साईटेशन 2019(1)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 77 इसाक खान बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2019(1)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 230 श्रीमती उषा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2017(2)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 1185 मांगी लाल बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2017(1)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 268 श्रीमती शांति देवी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा 2015(2)DNJ[Raj.] पृष्ठ संख्या 595 राजू चीता बनाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं अन्य पेश की।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने, अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 व प्रस्तुत दस्तावेजात व नजीरों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निगरानीकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत उक्त पट्टा संख्या 39 आदेश दिनांक 21.11.17 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पत्रावली में उपलब्ध जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पट्टा फर्जी तरीके से बिना रिकार्ड के जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत गोठडा से प्राप्त पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार उक्त पट्टे संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत गोठडा में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश की गई नजीर 2021(2) CJ(Civ.)(SC) पृष्ठ संख्या 1012 गोपाल पटेल बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य इस प्रकरण में चस्प्या नहीं होती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टे का पंजीकरण करवा लिया गया है चूंकि जांच रिपोर्ट से पट्टा फर्जी प्रमाणित होता है। अतः फर्जी तरीके से जारी किये गए पट्टे का पंजीकरण प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा संख्या 39 आदेश दिनांक 21.11.17 खारिज होने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.17 के द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 39 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(संजय शर्मा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर